न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 115/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/200)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. छिन्द्रपाल कौर उर्फ राजप्रीत कौर पुत्री कशमीर सिंह पत्नी सतनाम सिंह निवासी 22 एच तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल भागसर जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:— 28.06.2024

उपस्थितः— 1.श्री जसकरण गोदारा, श्री ईकबाल सिंह अधिवक्ता वादिया

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— दिनांक : 12.08.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 47/44 के मुरब्बा नम्बर 30, 31, 39, 42 की कुल 8.711 हैक्टेयर भूमि में से वादिया के नाम 0.164 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादिया का नाम विन्द्रपाल कौर पुत्री कशमीर सिंह अंकित है। वादिया उक्त खाता में नाम छिन्द्रपाल कौर पुत्री कश्मीर सिंह दर्ज करवाना चाहती है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। वर्तमान में फसल बेचान, अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र तथा जमाबंदी एवं गिरदावरी इत्यादि दस्तावेजात ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप खातेदार का नाम मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से वादिया को झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादिया माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 47/44 के मुरब्बा नम्बर 30, 31, 39, 42 की कुल 8.711 हैक्टेयर भूमि में अंकित नाम विन्द्रपाल कौर पुत्री कशमीर सिंह के स्थान पर छिन्द्रपाल कौर पुत्री कशमीर सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2500 दिनांक 25.07.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एंव फर्द मौका बनाया गया, जिसमें चक 22 एच की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 56, 15 में प्रार्थिया का नाम छिन्द्रपाल कौर पुत्री कश्मीर सिंह जाति जटसिख दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त तीनों खातों में प्रार्थिया का नाम जरिये विरास्तन इन्तकाल संख्या 231 दिनांक 06.04.2009 रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। अतः खाता संख्या 47 में विन्द्रपाल कौर के स्थान पर छिन्द्रपाल कौर किया जाना उचित है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 47/44 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 15/24 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 56/54 की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत 25 एच दलपतसिंहपुर तस्दीक प्रमाण पत्र की प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत भागसर, जिला श्रीमुक्तसर साहिब पंजाब तस्दीक प्रमाण पत्र की प्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया के द्वारा राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 47/44 में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम विन्द्रपाल कौर पुत्री कशमीर सिंह के स्थान पर छिन्द्रपाल कौर पुत्री कशमीर सिंह दर्ज करवाने बावत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक चक 22 एच की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 56, 15 में प्रार्थिया का नाम छिन्द्रपाल कौर पुत्री कश्मीर सिंह जाति जटसिख दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त तीनों खातों में प्रार्थिया का नाम जरिये विरास्तन इन्तकाल संख्या 231 दिनांक 06.04.2009 रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अतः खाता संख्या 47 में विन्द्रपाल कौर के स्थान पर छिन्द्रपाल कौर किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादिया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 47/44 में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम विन्द्रपाल कौर पुत्री कशमीर सिंह के स्थान पर विन्द्रपाल कौर उर्फ छिन्द्रपाल कौर पुत्री कशमीर सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

छिन्द्रपाल कौर उर्फ राजप्रीत कौर बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 115/2024

निर्णय दिनांक :- 12.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा, श्री ईकबाल सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 22 एच, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 47/44 में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम विन्द्रपाल कौर पुत्री कशमीर सिंह के स्थान पर विन्द्रपाल कौर उर्फ छिन्द्रपाल कौर पुत्री कशमीर सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 12.08.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/462 दिनांकः 12.08.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर